

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

अपील संख्या 100/2017

अपीलांत

यशोवर्धन पुत्र भवानीशंकर शर्मा
निवासी खागल मोहल्ला वार्ड
संख्या 04 बाड़मेर

बनाम

रेस्पोंडेंट

सहायक लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार, बायतु



प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक 22.01.2018

1. अपीलांत ने यह अपील सहायक लोक सूचना अधिकारी—तहसीलदार, बायतु से चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में अपीलांत की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांत ने सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बायतु को आवेदन पत्र प्रेषित कर आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से 07 में वर्णित सूचना चाही गई थी। अपीलांत का यह कथन है कि सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बायतु द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। इसलिये अपीलांत को सूचना उपलब्ध कराई जाए।
3. अपील अपीलांत दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोंडेंट को जवाब हेतु नोटिस जारी किया। जवाब में यह बताया कि वांछित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित कर दी गई है।
4. हमने अपील पत्रावली एवं रेस्पोंडेंट से प्राप्त जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांत द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से 07 में वर्णित सूचना चाही गई थी। सहायक लोक सूचना अधिकारी—तहसीलदार बायतु से प्राप्त जवाब अनुसार वांछित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवा दी गई है। अतः अपीलांत को उसके द्वारा आवेदित सूचना उपलब्ध करा दी गई है। वस्तुतः अपीलांत ने उक्त सूचना प्रेषण के उपरान्त किसी प्रकार का कोई प्रतिकार प्रेषित नहीं किया है और अपील पेश करने के पश्चात् अपना पक्ष रखने के लिये उपस्थित नहीं हुए हैं।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. इस आलोक में, वर्तमान अपील में अब अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं देखते हुए, यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः अपीलांत की अपील उक्तानुसार खारिज की जाती है।
7. निर्णय की प्रतियां उभय पक्ष को प्रेषित हो।
8. निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को सुनाया गया।



(शिवप्रसाव प्रम.नकाते)
जिला कलकत्ता, बाडमेर
जिला कलकत्ता
बाडमेर